लखनऊ, सोमवार
18 नवंबर 2019
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 18+4=22

दैनिक जागरण

www.jagran.com

उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

आज का मौसम आसमान साफ रहेगा।
29.4° अधिकतम तापमान
17.1° न्यूनतम तापमान
सूर्य अस्त (आज) 5:15 उदय (कल) 6:28
एक्यूआइ 256

लखनऊ जागरण

www.jagran.com

दैनिक जागरण लखनऊ, 18 नवंबर 2019 5

जमीन और फ्लैट की बिक्री में पारदर्शिता की जरूरत

जासं, लखनऊ : किसी भी जमीन की बिक्री को लेकर उसके एरिया, कीमत, पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पारदर्शिता की जरूरत है। इसके लिए रियल एस्टेट रेग्यूलेटिंग अथॉरिटी (रेरा) को और अधिकार मिलने चाहिए। जिससे बिल्डर से घर खरीदने वालों के हक में कठोर व उचित कार्रवाई हो सके। रविवार को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स एवं इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्युअर्स के संयुक्त रूप से रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन में 'भू-संपदा नियमन एवं विकास एक्ट एवं इसका अनुपालन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में यह बात उठी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेरा एवं पूर्व महानिदेशक (विजलेंस) भानु प्रताप सिंह ने कहा कि रेरा एक्ट लागू होने से पहले भू-संपदा क्षेत्र निरंकुश था। किसानों को छोटी कीमत देकर बिल्डर्स किसानों से अनुबंध कर भवनों की बुकिंग के नाम पर पैसा लेने लगते। वहीं बैंकों से सीधे तौर पर या घर खरीदने वालों के माध्यम से लोन ले लेते थे। इस प्रकार बिना अपना धन लगाए ही मोटा मुनाफा कमाते थे। रेरा के लागू होने से बिल्डर की जवाबदेही तय हुई है और पारदर्शिता से ग्राहकों को लाभ मिला है।

आदेश का पालन कराने का मिले अधिकार : संस्थान के काउंसिल सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वीबी सिंह ने कहा कि रेरा मामलों का त्वरित निस्तारण करते हुए अपने आदेश तो पारित कर देता है, लेकिन बिल्डर किसी न किसी बहाने आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। ऐसे में रेरा को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है, जिससे कि वह अपने आदेशों का पालन सुनिश्चित करवा सके। उन्होंने कहा कि बिल्डर बुनियादी सुविधाओं (बिजली घर, पार्क, मार्केट व सड़क) पर ध्यान नहीं देता। बाद में उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर कई अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

कार्यशाला में उठी मांग

- रेरा को और अधिक अधिकार देने की मांग, इससे क्रेता को मिलेगा लाभ
- घर खरीदने वालों के हक में हो सकेगी कठोर और उचित कार्रवाई

रेरा एक्ट के बारे में दी जानकारी

मुख्य वक्ता यूपी आवास एवं विकास परिषद के राजेश मेहतानी ने रेरा एक्ट के पहलुओं पर विस्तार में चर्चा की। संस्थान के अध्यक्ष आरके त्रिवेदी, इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्युअर्स के खजान चन्द्रा, एमके गोयल, एएल कालरा, एएन दूबे, भरत राज सिंह, संजय राय व यूएन श्रीवास्तव उपस्थित रहे। संचालन आरके सिंह और समापन प्रभात किरण चौरसिया के धन्यवाद प्रस्ताव से हुआ।